परिशिष्ट

(सन्दर्भः अनुच्छेद संख्या 6.4.6; पृष्ठ 79-80)

स्टॉक पंजिकाओं में विसंगतियांः

- आबकारी प्राधिकारियों द्वारा स्टॉक पंजिकाओं में की गयी प्रविष्टियों को प्रमाणित नहीं किया गया।
- अनुज्ञाधारियों ने विभिन्न ब्राण्ड्स की न पीने योग्य बीयर की 1,717 बोतलों का उनकी प्राप्ति के छः माह बाद विक्रय किया।
- अनुज्ञाधारियों की स्टॉक पंजिकाओं में वर्ष के दौरान न पीने योग्य बीयर को स्टॉक में दर्शाया गया परन्तु विभाग द्वारा ऐसी बीयर के नष्टीकरण हेतु कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं किया जाना पाया गया।
- नौ अनुज्ञाधारियों ने 18,840 मि.लि. आई.एम.एफ.एल. तथा 613 बोतल बीयर 'शुष्क दिवसों' में आगन्तुकों को विक्रय की परन्तु शुष्क दिवसों में विदेशी पर्यटकों तथा आगन्तुकों को परोसी गयी शराब के खाते की पृथक पंजिका संधारित नहीं किया जाना पाया गया।
- तेरह अनुज्ञाधारियों द्वारा विभिन्न दिनांकों पर स्टॉक पंजिकाओं में गलत प्रविष्टियां की गयी जिसके फलस्वरूप वास्तविक प्राप्ति या विक्रय के बिना स्टॉक स्थिति में कमी या वृद्धि हुई।
- ग्यारह अनुज्ञाधारियों ने गत माह के अंतिम शेष की उपेक्षा करते हुए प्रारंभिक शेष की प्रविष्टियां, मात्रा से या तो आधिक्य में या कम दर्ज की।
- आमेट हवेली, उदयपुर की स्टॉक पंजिका में प्रविष्टियां पेंसिल से किया जाना पाया गया।
- आबकारी अधिकारियों की अनुमति के बिना स्टॉक पंजिका में दर्ज की गई प्रविष्टियों में कांट-छांट, अभिलेखन, फ्लूड द्वारा संशोधन व छेड़छाड़ की गयी।
- अनुज्ञापत्र के नवीनीकरण के समय शराब की स्टॉक स्थिति का अप्रस्तुतीकरण।
- होटल सरोवर पोर्टिको व पार्क इन जयपुर की स्टॉक पंजिकाओं से विभिन्न दिनांकों पर 1,188 बोतल बीयर जारी किया जाना दर्शाया गया परन्तु बार पंजिका में केवल 312 बोतल दर्ज की गयी फलतः विभिन्न ब्राण्ड की 876 बोतल बीयर का सीधे या गैर कानूनी विक्रय हुआ।
- चार अनुज्ञाधारियों ने आर.एस.बी.सी.एल. से क्रय की गयी 2,328 बोतल बीयर व 45 बोतल आई.एम.एफ.एल. को स्टॉक में नही दिखाया।

- होटल लक्ष्मी विलास, उदयपुर ने आर.एस.बी.सी.एल. से दो ब्राण्ड की आई.एम.एफ.एल. क्रय की परन्तु पांच अतिरिक्त ब्राण्ड की स्टॉक पंजिका में प्रविष्टि कर ली।
- दो अनुज्ञाधारियों के मामले में क्रय की दिनांक से पूर्व ही शराब की प्रविष्टि स्टॉक पंजिका में कर ली।
- होटल उदय विलास, उदयपुर द्वारा क्रय की प्रविष्टि देरी (6 से 14 दिन) से स्टॉक पंजिका में की गयी।
- होटल राजपुताना व स्वीट ड्रिम्स, जयपुर के मामले में बार का निरीक्षण आबकारी नियमपुस्तिका में निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं किया गया तथा निरीक्षण क्रमशः दो व चार वर्षों में केवल एक बार किया गया।